आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 1 (2) (166) पी एस /निकाशी/19/217 दिनांक: 24-01-2023

1. **समस्त प्राचार्य**
   राजकीय महाविदयालय, राजस्थान

2. सहायक **निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा,**
   जयपुर/ जोधपुर/ उदयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर

विषय : राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविदयालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2022 के तहत शिक्षकों को career advancement योजनान्तर्गत professor पद पर पदोन्नति के क्रम में

सन्दर्भ: आकाशि क्रमांक एफ 1 (92) पी एस /निकाशी/13/पार्ट/190 दिनांक 10-01-2023 एवं एफ 1 (2) (166) पी एस /निकाशी/19/198 दिनांक 13-01-2023

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि career advancement योजनान्तर्गत professor पद पर पदोन्नति के क्रम में समस्त महाविदयालयों के साथ साझा की गयी Google spreadsheet "PROFESSOR COLLEGE" एवं नोडल महाविदयालयों के साथ साझा की गयी Google spreadsheet "PROFESSOR NODAL COLLEGE OPTION-1 (2018)" तथा "PROFESSOR NODAL COLLEGE OPTION-2 (2010)" के प्रत्येक COLUMN में सूचनाएं भरा जाना अनिवार्य था । जिन महाविद्यालयों द्वारा इन Google spreadsheets में प्राप्त आवेदनों की सूचनाएं पूर्ण नहीं की गई है वे **आज (24.01.2023) शाम 5 बजे** तक सूचना भरी जाना सुनिश्चित करें । Spreadsheet "PROFESSOR COLLEGE" के column संख्या 20 में scanned कॉपी की महाविदयालय की e- mail पर प्राप्ति की सूचना भी भरी जानी है। इसी क्रम में नोडल महाविद्यालयों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे भी उनके द्वारा जांचें गए सभी आवेदनों (पुराने एवं नये दोनों) की संपूर्ण सूचनाएं भी आज शाम 5 बजे तक पूर्ण करें। ये भी स्पष्ट रहे कि उपरोक्त spreadsheets में केवल राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालयी शाखा) 1986 के तहत नियुक्त सह आचार्यों से प्राप्त आवेदनों की ही सूचना भरें। प्राचार्य अपने स्तर पर उपरोक्त कार्य को प्राथमिकता पर सम्पादित करें। इस कार्य को पूरा किये जाने की संपूर्ण ज़िम्मेदारी महाविदयालय प्राचार्य एवं IQAC समिति की होगी।

सभी सूचनाएं **आज (24.01.2023) शाम 5 बजे** तक अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक (HRD),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविदयालय, राजस्थान।
3. वेबसाइट प्रभारी- कृप्या विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं महाविद्यालयों की e mail पर प्रेषित करें।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (HRD),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर